-1-

62

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. .... / 2015 (निगरानी)

निगरानी 2290-I-15

अब्दुल वहीद तनय श्री अब्दुल समद निवासी धाम मोहल्ला पन्नाहाल बिल्डिंग के पास, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

...... निगरानीकर्ता / पुनरीक्षणकर्ता

दिनांक 20.7.15 को श्री अमित कुडेले, अभि. द्वारा प्रस्तुत।

20.7.15
SO

बनाम

श्रीमती सुषमा खरे पत्नी श्री संतोष कुमार खरे निवासी, जागात चौकी, पन्ना तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

.....उत्तरार्थी

निगरानी / पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 अपर कलेक्टर जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 05 / निगरानी वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांकित 30.05.2015 के विरूद्ध

Adv 20-7-15

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी / पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. यह कि निगरानी कर्ता ने दिनांक 17-05-2013 को तहसीलदार पन्ना के समक्ष अपने स्वत्वाधिकार की भूमि क्रमांक 1032 / 1-ग रकवा 0.032 हेक्टेयर के नक्शा में तरमीम / बटांकन हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115-116 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जोकि प्रकरण क्रमांक 18 / अ-5 / 12-13 पर दर्ज किया गया एवं तहसीलदार द्वारा विधिवत उद्घोषणा दिनांक 17.05.2013 को जारी की गई और आपत्ति हेतु दिनांक 31.05.2013 नियत की गयी, नियत तारीख 31.05.2013 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
2. यह कि इसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से बटांकन या तरमीम प्रस्ताव मौके पर स्थिति के अनरूप चाहा गया लेकिन राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए भोपाल गये थे इसलिए हल्का पटवारी क्रमांक 15 से तरमीम प्रस्ताव दिनांक 30.12.2013 लिया जाकर तहसीलदार ने प्र.क्रं. 18 / अ-5 / 2012-13 में दिनांक 31.12.2013 को खसरा नं. 1032 / 1ग रकबा 0.032 हेक्टेयर स्थित ग्राम पन्ना का बटांकन / तरमीम प्रस्ताव प्रदर्श पी-1, पी-2 स्वीकृत कर उक्त आदेश पारित किया।

[पीछे देखें

R. 2290.5/15 (पटना)

4-10-16	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। परन्तु उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं। अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रभारी अधि०

[कृ. प. उ.

R/Asr